International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 10 Issue 11, Novenber 2020
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संयुक्त राष्ट्र संघ में ढाँचागत बदलावः एक वैश्विक आवश्यकता

डा० भरत कुमार
पीएच.डी० राजनीति विज्ञान,
एल. एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

संयुक्त राष्ट्र संघः उद्देश्य एवं सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने तथा शान्ति के खतरों को प्रभावशाली तरीकों से रोकने के लिए की गयी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना भी था जिसमें शांति तथा सुव्यवस्था को स्थायी आधार मिल सके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में प्रस्तावना तथा 111 धारायें विद्यमान हैं। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने यह निश्चय किया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिकाओं से बचायेंगे जिसने हमारे जीवन काल में ही दो बार मानव जाति को अपार संकट दिया हैं। हम आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने और मूलभुत मानव अधिकारों, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्त्व पुरूषों और स्त्रियों तथा छोटे और बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति आस्था की पुष्टि करने और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए जिनके अधीन संधियों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली दायित्वों के सम्बन्ध में न्याय और आदर की भावना बनायी रखी जा सके निश्चित करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के लोगों का यह दृढ़ संकलप है, कि उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम सहनशीलता के आदर्श को अपनायेंगे, आदर्श पड़ोसियों की भांति शान्तिपूर्वक मिलजुलकर रहेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों को संगठित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाय और ऐसी पद्धति प्रारंभ की जाय जिससे सामान्य हितों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए सशस्त्र शक्ति का उपयोग नहीं किया जायेगा और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के प्रोत्साहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग किया जायेगा। अतः हमने इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए मिलजुलकर प्रयास करने का संकल्प किया है। इसलिये हमारे सरकारें अपने प्रतिनिधियों के रूप में सेन–फ्रॉसिस्कों नगर में एकत्र हुई है। इन प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार पत्र दिखाये जिनको ठीक और उचित रूप में

पाया गया है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के इस चार्टर को स्वीकार कर लिया है और इसके आधार पर वे अब एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में निहित शब्द स्पष्ट करते है कि इस संस्था के उद्देश्य इसके पूर्व निर्मित संस्था के अपेक्षा अत्यन्त व्यापक एवं स्पष्ट हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित राष्ट्र संघ राष्ट्रों के बीच सम्पन्न समझौते का परिणाम था। अतः उसके विधान के अन्तर्गत राष्ट्रों को अधिक महत्त्व दिया गया था, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्तावना में निहित शब्द– 'हम संयुक्त राष्ट्र के लोग शब्द यह स्पष्ट करती है कि इसमें मानवीय इच्छाओं, अभिलाषाओं, मानवीय मूल्यों, मानवीय अधिकारों, मानवीय गरिमा तथा जन कल्याण को विशिष्ट महत्व दिया गया है।

प्रस्तुतः संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माताओं का यह विश्वास था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों की जितनी उपेक्षा की गयी है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अतः मानवीय मूल्यों एवं मानवीय गरिमा की स्थापना के साथ–साथ छोटे–बड़े राष्ट्रों के बीच समानता की स्थापना चार्टर का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती हें कि इसमें युद्ध की संभावनाओं को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से उन कारणों की समाप्ति पर विशेष बल दिया गया है जो राष्ट्रों के बीच मधुर सम्बन्ध निर्धारण में बाधक रहे है तथा अंततः युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित करते है। इस उद्देश्य से विश्व के देशों के बीच अधिकाधिक आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग का संकल्प इस संस्था की सद्इच्छा को व्यक्त करता है।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र स्वतन्त्र राज्यों का संघ है फिर भी चार्टर के प्रावधानों के अन्तर्गत इसे एक विशिष्ट विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। चार्टर के अध्याय 11 के अनुच्छेद 104 में यह व्यवस्था दी गयी है कि संगठन को सदस्य राज्यों के क्षेत्र के अन्तर्गत एक विशिष्ट कानूनी स्थिति प्राप्त होगी जो इसे अपने कार्यो के संचालन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। चार्टर के अनुच्छेद 105 (1) में यह कहा गया है कि संगठन को अपने प्रत्येक सदस्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुछ विशेष सुविधाओं प्राप्त होंगी जो इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होगीं। अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों और संघ के अधिकारियों को भी इसी प्रकार संघ से संबंधित कार्यो को स्वतन्त्र रूप से करने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होगी।

संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना के अतिरिक्त चार्टर के अन्तर्गत अनुच्छेद 1 में उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिसकी प्राप्ति का प्रयत्न संस्था द्वारा किया जाना है। चार्टर के अनुच्छेद 1(1) में यह लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखना, शान्ति भंग की संभावनाओं का निराकरण, आक्रमण एवं शान्ति के उल्लंघन के कार्यो को प्रतिबन्धित करने के लिए प्रभावी सामूहिक कार्यवाही करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं परिस्थितियों को शान्तिपूर्ण तरीके से, न्याय के सिद्धांतों एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप प्राप्त करना है।

चार्टर के अनुच्छेद 1(2) के अन्तर्गत राष्ट्रों के समानता के अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के प्रति सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास करना तथा विश्व शान्ति के लिए अन्य उपयुक्त प्रयत्न करना संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य बताया गया है।

चार्टर की प्रस्तावना में व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए संस्था के प्रयोग का संकल्प व्यक्त किया गया है कि तथा मानवीय अधिकारों एवं मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना के प्रति आस्था व्यक्त की गयी है। इसके पश्चात् अनुच्छेद 1(3) में संस्था का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव, कल्याण सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेद–भाव के मानवीय अधिकारों एवं मानवीय स्वतन्त्रता को प्रोत्साहित करना संगठन का उद्देश्य बताया गया है। अनुच्छेद 1(4) में संस्था का अन्तिम उद्देश्य उपरोक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये गये कार्यो के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन के रूप में कार्य करना बताया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के असफलता के कारण

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता के निम्नलिखित परिणाम हुये।

1. उन शक्तियों तथा कार्यो को महासभा ने अंगीकार कर लिया जो सुरक्षा परिषद की थी, जैसे शान्ति–भंग या अतिक्रमण के कार्य विनिश्चिय करना तथा सदस्यों द्वारा कार्यवाही की संस्तुति करना आदि, इसी प्रकार के कार्यो के उदाहरण हैं, जिन्हें सुरक्षा परिषद की असफलता के परिणामस्वरूप महासभा ने अंगीकार कर लिया।
2. इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के बाहर विकल्प के रूप में शक्तिशाली सुरक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जैसे नाटो तथा

वारसा पैक्ट का जन्म सुरक्षा परिषद की विफलता का ही एक परिणाम माना जाता है।

3. तीसरा मुख्य परिणाम यह हुआ कि शान्ति स्थापित करने के लिए कार्यवाही का अध्याय 6 अथवा 7 के अन्तर्गत विकास हुआ, जिसमें सीमित रूप से सदस्य राज्यों द्वारा स्वेच्छा से दी गई सेनाओं का प्रयोग सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का तत्कालीन महासचिव बान की मून सुरक्षा परिषद में सुधार किये जाने के पक्ष में है और इस दिशा में विचार–विमर्श करने के लिए सदस्य देशों को राजनीतिक माहौल मुहैया करा रहे हैं। बान के प्रवक्ता मार्टिन नेसिरकी ने कहा, 'महासचिव पूरी तरह मानते हैं कि हम जिस विश्व में रह रहे है उसको अच्छे से दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा–परिषद में सुधार की जरूरत है। यह सदस्य राष्ट्रों को फैसला करना है कि इन परिवर्तनों का दायरा और समय सीमा क्या हो? उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष जोसेफ देइस ने दो दशक के प्रयास के बावजूद भी सुरक्षा–परिषद में सुधार की दिशा पर प्रगति नहीं होने पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ में ढाँचागत परिवर्तनः वैश्विक माँग

1. सुरक्षा परिषद का गठन वर्तमान विश्व राजनीतिक के अनुरूप किया जाना चाहिए– विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद् का वर्तमान स्वरूप 70 वर्ष पुराना है। अतः यह 1945 की विश्व राजनीति की स्थिति पर आधारित है न कि वर्तमान की स्थिति पर आधारित। पिछले 60 वर्षो में विश्व राजनीति में अत्यधिक परिवर्तन आ गये हैं। इनमें से प्रमुख हैं– पूर्व सोवियत संघ का पतन, जापान का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय, जर्मनी का एकीकरण चीन का अभ्युदय तथा एशिया व अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों का स्वतन्त्रत होना तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ना। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार इन वर्षो में राष्ट्रों की शक्ति व स्थिति में आया यह परिवर्तन सुरक्षा परिषद के है। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव सामान्य परिस्थितियों में पारित नहीं किया जा सकता। यदि महासभा में दो तिहाई बहुमत जुटा भी लिया जाए तो सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्य संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को

तत्काल ही रद्द कर देंगे क्योंकि विद्यमान व्यवस्था हितों के अनुकूल है।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके स्थाई सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाना चाहिए तथा इसमें भारत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा जापान व जर्मनी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यदि इन देशों को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बना दिया जाए तो निःसंदेह विश्व व्यवस्था में काफी हद तक सुधार लाया जा सकेगा तथा संयुक्त राष्ट्र को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता का प्रश्न अत्यंत विवादस्पद रहा है लम्बे समय तक विश्व समुदाय के अनेक राष्ट्रों को इस संगठन से बाहर रखा गया जिसके लिये प्रमुख रूप से सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य जिम्मेदार रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि किसी राष्ट्र को सदस्यता देने का प्रश्न पूरी तरह महासभा पर छोड़ दिया जाए।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्याप्त प्रभावी न हो पाने का एक प्रमुख कारण अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्था रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी आय का श्रोत खोजना बेहद आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में नए अन्तर्राष्ट्रीय कर लगाए जा सकते हैं:—

    (1) अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट तथा वीजा पर कर।
    (2) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले विमान यात्रियों पर कर।
    (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर।
    (4) हथियारों की खरीद अथवा बिक्री पर कर।
5. चार्टर की धारा में यह व्याख्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सार्वभौम राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस विधान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कारवाईयों को सीमित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है जिससे इसके किसी भी अंग को निर्णय करने का अधिकार हो कि कौन सा मामला किसी राज्य का घरेलू मामला है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राष्ट्रों को स्वयं यह निर्णय करने का अधिकार है, कि कौन सा मामला घरेलू मामला है और इस तरह वे चार्टर की व्यवस्था की व्याख्या करने

के लिए स्वतंत्र है। इस कमी को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया है कि चार्टर के दूसरे अनुच्छेद में उल्लिखित 'घरेलू क्षेत्राधिकार' की व्याख्या का अधिकार महासभा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को होना चाहिए।

6. यह भी सुझाव दिया है कि सुरक्षा परिषद की बैठकें हमेशा न होकर कुछ निश्चित अवधियों में हो जिसमें संबंधित देशों के प्रधानमंत्री उसमें भाग ले सकें। सर अलेक्जेंडर कैडोगन इस सुझाव के पक्ष में है परंतु यह सुझाव लाभप्रद नहीं है। सुरक्षा परिषद के सदैव क्रियाशील रहने से आक्रमणकारियों को यह डर रहता है कि वह आक्रमण होते ही कुछ न कुछ ठोस कदम उठा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद यदि सतत् कार्यशील अंग नही रहा तो शांति एवं सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने पर अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण मामले में तुरंत कार्यवाही करने की जो क्षमता है उसे आघात पहुँचेगा।
7. सर अलेक्जेंडर कैडोगन का एक अन्य सुझाव यह है कि सुरक्षा परिषद को कुछ आर्थिक और सामाजिक कार्य भी सौंपे जाने चाहिए। वे सोचते है कि सुरक्षा परिषद में झगड़े इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि वह केवल राजनीतिक प्रश्नों को ही सुलझाती है। यदि सामाजिक और आर्थिक कार्य भी, उसे सौंप दिये जाये तो झगड़े होने की कम संभावना है। परंतु उनकी सह धारणा गलत है। यदि सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक कार्यो को करने लगे तो बड़ी शक्तियाँ उन कार्यो पर अपना निषेधाधिकार का प्रयोग करने लगेंगी। अतः इस सुझाव के विरोध में यह कहा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ आर्थिक और सामाजिक परिषद का उचित कार्य क्षेत्र है।

संदर्भ सूचीः

1. कुमार, महेन्द्रः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्षकपूर,
2. कपूर, एस. के.: अन्तर्राष्ट्रीय विधि, सेन्ट्रल ला बुक एजेन्सी इलाहाबाद, 1986
3. गैराला : अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 2003

4 चतुर्वेदी, डी. सी. : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ, 1984

5. चौरसिया, राधेश्यामः संयुक्त राष्ट्र संघ, अटलांटिक, प्रकाशन, नई दिल्ली 2003

6. सिंह, बैकुण्ड नाथ दिल्लीः अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली 1998

7. राय, डा. एम. पी. : अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2004

8. शिरिष, डा. नीनाः संयुक्त राष्ट्र संघ, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2004

9. वर्मा, दीनानाथ, : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000

10. सिंह, एम. के. एवं कुमार, आशुतोषः संयुक्त राष्ट्र संघ, कल्पना पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2003